

{ मास्टर परिपत्र के खंड बी का पैराग्राफ बी.2. देखें }

[19 जून 2003 का ए.पी.(डीआइआर सीरीज़) परिपत्र सं. 106 देखें]

फार्म-ए 1 -अनिवासी बैंक के खाते में भारतीय रुपये के अंतरण हेतु आवेदनपत्र

<p>फार्म-ए 1 (केवल आयात भुगतानों के लिए) अनिवासी बैंक के खाते में भारतीय रुपये के अंतरण हेतु आवेदनपत्र</p>	<p>(हल्के नीले कागज पर छापा जाये) ए.डी.कूट संख्या -----</p>
	<p>फार्म संख्या (प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये)</p>
	<p>क्रम संख्या ----- (भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ)</p>
	<p>----- रुपए के समतुल्य करेंसी राशि ----- विप्रेषित (प्राधिकृत व्यापारी द्वारा पूर्ण किया जाये)</p>

मैं/हम -----में रखे गये -----के खाते से
(प्रेषक का खाता रखने वाला प्राधिकृत व्यापारी बैंक) (विप्रेषक का नाम तथा पता)

रु.----- (शब्दों में) की राशि -
-----बैंक में रखे गये खाते में
(अनिवासी बैंक के खाते का पूरा नाम जिसमें राशि जमा की गयी है,निवासी देश का उल्लेख किया जाये)

जो----- (विप्रेषण के हिताधिकारी का नाम तथा पता)
के लिये है अंतरित करना चाहता हूँ/चाहते हैं जो कि भारत को आये आयातों के भुगतान से संबंधित है
जिसका/जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है:

खंड-सी - अन्य ब्योरे

1	आयात के तहत बुक किये गये वायदा क्रय संविदा के ब्योरे	_____ - (संविदा की संख्या तथा तारीख)	_____ (संविदा की राशि तथा करेंसी)	_____ (संविदा के तहत शेष)
2	यदि विप्रेषित की जाने वाली राशि बीजक की राशि से कम हो तो उसके कारण अर्थात् आंशिक विप्रेषण, किस्त आदि)			

मैं/हम घोषित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि इस फार्म में किये गये कथन सत्य और सही हैं और मैंने /हमने किसी अन्य बैंक के जरिये अधिकारपत्र जारी करने हेतु आवेदनपत्र नहीं दिया है।

मैं/ हम घोषित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं और समझता हूँ/ समझती हूँ/ समझते हैं कि इस आवेदनपत्र के द्वारा अर्जित की जानेवाली विदेशी मुद्रा जिस प्रयोजन हेतु ली गयी है, उसी पर व्यय की जायेगी और जिन शर्तों के अधीन दी गयी है, उनका अनुपालन किया जायेगा।

	----- आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
	@ आवेदक का नाम और पता आयातक की कूट संख्या @ राष्ट्रीयता @ साफ अक्षरों(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) में भरा जाए
तारीख:-----	

टिप्पणी : मध्यवर्ती व्यापार हेतु किये जाने वाले विप्रेषणों के लिए फॉर्म ए 2 का प्रयोग किया जाए।

आवेदक द्वारा दिया जाने वाला घोषणापत्र

मैं/ हम घोषित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि

(ए) आयात लाइसेंस जिस पर / जिन पर विप्रेषण मांगा गया है/, वैध है और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा उसे/उन्हें निरस्त नहीं किया गया है।

(बी) माल जिससे कि यह आवेदनपत्र संबंधित है, मेरे/हमारे लिए भारत में आयात कर दिया गया है */ आयात कर दिया जायेगा *।

(सी) आयात @-----की ओर से किया जा रहा है और

(डी) माल की बीजक में अंकित कीमत जो कि इस फॉर्म में घोषित की गयी है, भारत में *आयात की गयी/ * आयात की जाने वाली माल की वास्तविक कीमत है।

यदि आयात किया गया है	मैं /हम कस्टम विभाग की मुहर लगे संबंधित बिल ऑफ एंट्री * की प्रति डाक पार्सल लिफाफा (डाक द्वारा आयात के लिए) */कुरियर/(कुरियर द्वारा आयात के लिए)संलग्न करता हूँ/करती हूँ/करते हैं।
	जो मदे लागू न हों , उन्हें काट दें।
@	जहाँ आयात केंद्र/ राज्य सरकार के विभाग अथवा केंद्र/ राज्य सरकार/सांविधिक निगम, स्थानीय निकाय, आदि के स्वामित्व वाली कंपनी की ओर से किया जा रहा हो तो, सरकार के विभाग , निगम, आदि के नाम का उल्लेख किया जाये।

तारीख -----	
	(आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्राधिकृत व्यापारी के अभिमत के लिए स्थान

(भारतीय रिजर्व बैंक को अनुमोदन हेतु आवेदनपत्र भेजते समय विदेशी मुद्रा नियंत्रण मैनुअल के पैराग्राफ/ एडी परिपत्र के संदर्भ जिनके अनुसार मामला प्रेषित किया गया है, उनका अनिवार्यतया उल्लेख किया जाए। यदि कोई विप्रेषण आवेदनपत्र एक ही आयात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को पहले ही भेजा जा चुका हो तो, लिखे गये अंतिम पत्र/ अनुमोदन का उल्लेख भी किया जाए)।

<p>मुहर</p> <p>तारीख -----</p>	<p>प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर</p> <p>नाम</p> <p>पदनाम</p> <p>प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता -----</p>
--------------------------------	--

प्राधिकृत व्यापारी बैंक(आयातक का बैंक) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र

हम प्रमाणित करते हैं कि ;

(ए) यह भुगतान

उपयुक्त खाने में (i) यह एक अग्रिम भुगतान है।
सहीत (✓) का
निशान लगायें

(ii) हमारे द्वारा खोले गये साखपत्र के तहत बिल का भुगतान है।

(iii) हमारे माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों पर भुगतान है।

(iv) आवेदक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करने पर कि वह तीन माह के भीतर कस्टम -विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की/ डाक पार्सल/कुरियर लिफाफे की प्रतिलिपि बाद में जमा कर देगा, आवेदक/ आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप होने वाला भुगतान है।

(v) दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेज कस्टम -विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे (संलग्न) आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप होने वाला भुगतान है।

(vi)



(स्पष्ट किया जानेवाला अन्य कोई मामला)

(बी) विप्रेषण के लिए लागू विदेशी मुद्रा नियंत्रण के सभी विनियमों का अनुपालन किया गया है।

(सी) माल की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता को ----- के
(विदेशी बैंक का नाम तथा पता)

माध्यम से भुगतान द्वारा कर दिया गया है/ कर दिया जाएगा।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं / वचन देते हैं कि कस्टम -विभाग की मुहर लगी बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफा आदि

* तीन माह के भीतर हमारे द्वारा सत्यापित कर लिए जायेंगे।

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (ए) (ii) और (iii) द्वारा]

* सत्यापन कर लिया गया है।

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (ए) (v) द्वारा]

* आवेदक/आवेदकों से तीन माह के भीतर प्राप्त कर लिए जायेंगे।

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (ए) (i) और (iv) द्वारा]

मुहर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी का नाम -----

पदनाम-----

प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता-----

तारीख -----

* जो मद लागू न हों उन्हें काट दें।

फार्म ए 1-विदेशी मुद्रा में विप्रेषण के लिए आवेदनपत्र

(सफेद कागज पर छपवाया जाये)

ए.डी.कूट सं.-----

फार्म सं.-----

(प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये)

फार्म ए 1

(केवल आयात के भुगतान हेतु)

क्रमांक-----

(भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ)

विदेशी मुद्रा में विप्रेषण के लिए आवेदनपत्र

राशि -----

रुपये -----के समतुल्य की करेंसी
विप्रेषित ।

(प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये)

मैं/ हम, भारत में आयात किये गये माल, जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है , -----

----- (विप्रेषण के हिताधिकारी का नाम व पता) को आयात मूल्य का भुगतान करने के लिए -----

----- के माध्यम से (प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता) ----- (राशि शब्दों में) की विदेशी

मुद्रा ----- (करेंसी का नाम) खरीदना चाहते हैं ।

खंड-सी - अन्य ब्योरे

1	आयात के तहत बुक किये गये वायदा क्रय संविदा के ब्योरे	_____	_____	_____
		(संविदा की संख्या तथा तारीख)	(संविदा की राशि तथा करेंसी)	(संविदा के तहत अवशेष)
2	यदि विप्रषित की जाने वाली राशि बीजक की राशि से कम हो तो उसके कारण अर्थात् आंशिक विप्रेषण, किस्त आदि)			

मैं/ हम घोषित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि इस फार्म में किये गये कथन सत्य और सही हैं और मैंने /हमने किसी अन्य बैंक के जरिये अधिकारपत्र जारी करने हेतु आवेदनपत्र नहीं दिया है।

मैं/ हम घोषित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं और समझता हूँ/समझती हूँ/ समझते हैं कि इस आवेदनपत्र के द्वारा अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा जिस प्रयोजन हेतु ली गयी है , उसी पर व्यय की जायेगी और जिन शर्तों के अधीन दी गयी है , उनका अनुपालन किया जायेगा।

आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

@ आवेदक का नाम और पता

आयातक की कूट संख्या

@ राष्ट्रीयता

@ साफ अक्षरों(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) में भरा जाए

तारीख:-----

टिप्पणी : मध्यवर्ती व्यापार हेतु किये जाने वाले विप्रेषणों के लिए फॉर्म ए 2 का प्रयोग किया जाए।

आवेदक द्वारा दिया जाने वाला घोषणापत्र

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि

- (ई) आयात लाइसेंस जिस पर / जिन पर विप्रेषण मांगा गया है, वैध है और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा निरस्त नहीं किया गया है।
- (एफ) माल जिससे कि यह आवेदनपत्र संबंधित है, हमारी जिम्मेदारी पर भारत को आयात कर दिया गया है */आयात कर दिया जायेगा */।
- (जी) आयात @-----की ओर से किया जा रहा है और
- (एच) माल की बीजक में अंकित कीमत जो कि इस फॉर्म में घोषित की गयी है, भारत में *आयात की गयी/* आयात की जाने वाली माल की वास्तविक कीमत है।

यदि आयात किया गया है	मैं/हम कस्टम विभाग की मुहर लगे संबंधित बिल ऑफ एंट्री * की प्रति डाक पार्सल लिफाफा (डाक द्वारा आयात के लिए) * /कुरियर(/कुरियर द्वारा आयात के लिए) संलग्न करता हूँ/ करते हैं।
	अथवा

यदि आयात किया गया है	मैं वचन देता हूँ/हम वचन देते हैं कि तीन माह के भीतर प्राधिकृत व्यापारी को कस्टम विभाग की मुहर लगे संबंधित बिल ऑफ एंट्री * की प्रति डाक पार्सल लिफाफा (डाक द्वारा आयात के लिए) * /कुरियर(/कुरियर द्वारा आयात के लिए) प्रस्तुत कर देंगे।
*जो मर्चे लागू न हों, उन्हें काट दें।	
@	जहाँ आयात केंद्र/ राज्य सरकार के विभाग अथवा केंद्र/ राज्य सरकार/सांविधिक निगम, स्थानीय निकाय, आदि के स्वामित्व वाली कंपनी की ओर से किया जा रहा हो तो, सरकार के विभाग, निगम, आदि के नाम का उल्लेख किया जाये।
तारीख -----	
	(आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्राधिकृत व्यापारी के अभिमत के लिए स्थान

(भारतीय रिजर्व बैंक को अनुमोदन हेतु आवेदनपत्र भेजते समय विदेशी मुद्रा नियंत्रण मैनुअल के पैराग्राफ/ एडी परिपत्र के संदर्भ जिनके अनुसार मामला प्रेषित किया गया है, उनका अनिवार्यतया उल्लेख किया जाए। यदि कोई विप्रेषण आवेदनपत्र एक ही आयात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को पहले ही भेजा जा चुका हो तो, लिखे गये अंतिम पत्र/ अनुमोदन का उल्लेख भी किया जाए)।

मुहर	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
तारीख -----	नाम
	पदनाम
	प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता -----

प्राधिकृत व्यापारी बैंक(आयातक का बैंक) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र

हम प्रमाणित करते हैं कि ;

(ए) यह भुगतान

उपयुक्त खाने में
सही (✓) का
निशान लगायें

- (i) यह एक अग्रिम भुगतान है।
- (ii) हमारे द्वारा खोले गये साखपत्र के तहत बिल का भुगतान है।
- (iii) हमारे माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों पर भुगतान है।
- (iv) आवेदक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करने पर कि वह कस्टम -विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे की प्रतिलिपि बाद में जमा कर देगा, आवेदक/आवेदकों को सीधे होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला भुगतान है।
- (v) दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेज कस्टम -विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे (संलग्न) आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने

वाला भुगतान है।

(vi)

(स्पष्ट किया जानेवाला अन्य कोई मामला)

(बी) विप्रेषण के लिए लागू विदेशी मुद्रा नियंत्रण के सभी विनियमों का अनुपालन किया गया है।

(डी) माल की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता को ----- के
(विदेशी बैंक का नाम तथा पता)

माध्यम से भुगतान कर दिया गया है*/ कर दिया जाएगा*।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं / वचन देते हैं कि कस्टम -विभाग की मुहर लगी बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफा आदि

* तीन माह के भीतर हमारे द्वारा सत्यापित कर लिए जायेंगे।

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (ए) (ii) और (iii) द्वारा]

* सत्यापन कर लिया गया है।

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (ए) (v) द्वारा]

* आवेदक/आवेदकों से तीन माह के भीतर प्राप्त कर लिए जायेंगे।

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (ए) (i) और (iv) द्वारा]

मुहर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी का नाम -----

पदनाम-----

प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता-----

तारीख -----

* जो मद लागू न हों उन्हें काट दें।

फार्म ए 1-एशियन क्लियरिंग यूनियन के जरिये भुगतान के लिए आवेदनपत्र

	(हल्के पीले कागज पर छपवाया जाये) ए.डी.कूट सं.----- फार्म सं.-----
	(प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये)
फार्म ए 1 (केवल आयात भुगतान हेतु) एशियन क्लियरिंग यूनियन के जरिये भुगतान के लिए आवेदनपत्र	क्रमांक----- (भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ)
	रु.-----राशि ----- विप्रेषित करेंसी राशि
	रुपये -----राशि के समतुल्य की करेंसी प्रेषित । (प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये)

मैं/ हम , भारत में आयात के भुगतान के लिए , जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है , -----
----- (विप्रेषण के हिताधिकारी का नाम व पता) को भुगतान करने के लिए -----
-- के माध्यम से (भारत में प्राधिकृत बैंक का नाम व पता) ----- (राशि शब्दों में) की विदेशी मुद्रा
----- (करेंसी का नाम) का एशियन क्लियरिंग यूनियन के जरिये विप्रेषण करना चाहता
हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

खंड-सी - अन्य ब्योरे

1	आयात संविदा के तहत बुक किये गये वायदा क्रय संविदा के ब्योरे, यदि कोई हो।	_____ (संविदा की क्रम संख्या तथा तारीख)	(संविदा की राशि तथा करेंसी)	_____ (संविदा के तहत अवशेष)
2	यदि विप्रेषित की जाने वाली राशि बीजक की राशि से कम हो तो उसके कारण (अर्थात् आंशिक विप्रेषण, किस्त आदि) दें।			

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं कि इस फार्म में किये गये कथन सत्य और सही हैं और मैंने /हमने किसी अन्य बैंक के जरिये अधिकारपत्र जारी करने हेतु आवेदनपत्र नहीं दिया है।

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं और समझता हूँ/ समझती हूँ/ समझते हैं कि इस आवेदनपत्र के अनुसार एशियन क्लियरिंग यूनियन के जरिए मेरे/हमारे द्वारा किये जाने वाले भुगतान उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ही मेरे/ हमारे द्वारा किया जाएगा और जिन शर्तों के अधीन अनुमति दी गयी है, उनका अनुपालन किया जायेगा।

आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर

@ आवेदक का नाम और पता

आयातक की कूट संख्या

@ राष्ट्रीयता

@ साफ अक्षरों (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) में भरा जाए तारीख:--

टिप्पणी : मध्यवर्ती व्यापार हेतु किये जाने वाले विप्रेषणों के लिए फॉर्म ए 2 का प्रयोग किया जाए।

आवेदक द्वारा दिया जाने वाला घोषणापत्र

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि

(ए) आयात लाइसेंस जिस पर / जिन पर विप्रेषण मांगा गया है, वैध है और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा निरस्त नहीं किया गया है।

(बी) माल जिससे कि यह आवेदनपत्र संबंधित है, हमारी जिम्मेदारी पर भारत को आयात कर दिया गया है */आयात कर दिया जायेगा */।

(सी) आयात @-----की ओर से किया जा रहा है और

(डी) माल की बीजक में अंकित कीमत जो कि इस फॉर्म में घोषित की गयी है, भारत में

आयात की गयी/ आयात किए जाने वाले माल की वास्तविक कीमत है।

यदि आयात किया गया है तो	मैं/हम कस्टम विभाग की मुहर लगे संबंधित बिल ऑफ एंटी * की प्रति डाक पार्सल लिफाफा (डाक द्वारा आयात के लिए) * /कुरियर/(कुरियर द्वारा आयात के लिए) संलग्न करता हूँ/करते हैं।
-------------------------	--

अथवा

यदि आयात किया जाना है	मैं वचन देता हूँ/हम वचन देते हैं कि कस्टम विभाग की मुहर लगे संबंधित बिल ऑफ एंट्री * की प्रति डाक पार्सल लिफाफा (डाक द्वारा आयात के लिए) * /कुरियर लिफाफा/(कुरियर द्वारा आयात के लिए) तीन माह के भीतर प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत कर दूँगे।
-----------------------	---

*जो मर्चें लागू न हों, उन्हें काट दें।

@	जहाँ आयात केंद्र/ राज्य सरकार के विभाग अथवा केंद्र/ राज्य सरकार/सांविधिक निगम, स्थानीय निकाय आदि के स्वामित्व वाली कंपनी की ओर से किया जा रहा हो तो, सरकार के विभाग, निगम आदि के नाम का उल्लेख किया जाये।
तारीख -----	(आवेदक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्राधिकृत व्यापारी के अभिमत के लिए स्थान

(भारतीय रिजर्व बैंक को अनुमोदन हेतु आवेदनपत्र भेजते समय विदेशी मुद्रा नियंत्रण मैनुअल के पैराग्राफ/ एडी परिपत्र के संदर्भ जिनके अनुसार मामला प्रेषित किया गया है, उनका अनिवार्यतया उल्लेख किया जाए। यदि कोई विप्रेषण आवेदनपत्र एक ही आयात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को पहले ही भेजा जा चुका हो तो, लिखे गये अंतिम पत्र/ अनुमोदन का उल्लेख भी किया जाए)।

मुहर	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
तारीख -----	नाम पदनाम प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता -----

प्राधिकृत व्यापारी बैंक (आयातक का बैंक) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र

हम प्रमाणित करते हैं कि ;

(ए) यह भुगतान

उपयुक्त खाने में (i) यह एक अग्रिम भुगतान है।
सही (✓) का
निशान लगायें

(ii) हमारे द्वारा खोले गये साखपत्र के तहत बिल का भुगतान है।

(iii) हमारे माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों पर भुगतान है।

(iv) आवेदक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करने पर कि वह तीन माह के भीतर कस्टम -विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे की प्रतिलिपि बाद में जमा कर देगा , आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप होने वाला भुगतान है।

(v) दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेज कस्टम -विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे (संलग्न) आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप होने वाला भुगतान है।

(vi) _____
(स्पष्ट किया जानेवाला अन्य कोई मामला)

(बी) विप्रेषण के लिए लागू विदेशी मुद्रा नियंत्रण के सभी विनियमों का अनुपालन किया गया है।

माल की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता को ----- के

(विदेशी बैंक का नाम तथा पता)

(ई) माध्यम से भुगतान द्वारा कर दिया गया है/ कर दिया जाएगा।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं / वचन देते हैं कि कस्टम -विभाग की मुहर लगी बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफा आदि

* तीन माह के भीतर हमारे द्वारा सत्यापित कर लिए जायेंगे ।

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (ए) (ii) और (iii) द्वारा]

* सत्यापन कर लिया गया है ।

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (ए) (v) द्वारा]

* आवेदक/आवेदकों से तीन माह के भीतर प्राप्त कर लिए जायेंगे ।

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (ए) (i) और (iv) द्वारा]

मुहर	----- प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी का नाम ----- पदनाम----- प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता-----
तारीख -----	

* जो मद लागू न हों उन्हें काट दें ।